

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-16
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100549

दिनांक: 06/03/2026

लोक सूचना

श्री BARALA HOSPITAL PRIVATE LIMITED JARIYE DIRECTOR SHARVAN KUMAR BARALA पुत्र श्री RAGHUNATH BARALA जाति JAT निवासी K.NO. 6367 MAGADH NAGAR KACHOLIYA ROAD WARD NO. 17 CHOMU JAIPUR

श्री BARALA HOSPITAL PRIVATE LIMITED JARIYE DIRECTOR HANUMAN SAHAI BARALA पुत्र श्री RAGHUNATH BARALA जाति JAT निवासी K.NO. 6367 MAGADH NAGAR KACHOLIYA ROAD WARD NO. 17 CHOMU JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का अन्य संस्थानिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	मोरीजाबी, चौमू (जयपुर)	1.) बराला हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड (CIN U86100RJ2025PTC 101919) पंजीकृत कार्यालय खसरा नंबर 6367 मगध नगर कचौलिया रोड वार्ड नंबर 17 चौमू जिला जयपुर (राज.) पिन 303702 हिस्सा पूर्ण खातेदार	2890/1205	1.9102	1.9102
2.	मोरीजाबी, चौमू (जयपुर)	1.) बराला हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड (CIN U86100RJ2025PTC 101919) पंजीकृत कार्यालय खसरा नंबर 6367 मगध नगर कचौलिया रोड वार्ड नंबर 17 चौमू जिला जयपुर (राज.) पिन 303702 हिस्सा पूर्ण खातेदार	1204	0.0799	0.0799
3.	मोरीजाबी, चौमू	1.) बराला हॉस्पिटल	2811	0.0811	0.0811

(जयपुर)	प्राइवेट लिमिटेड (CIN U86100RJ2025PTC 101919) पंजीकृत कार्यालय खसरा नंबर 6367 मगध नगर कचौलिया रोड वार्ड नंबर 17 चौमू जिला जयपुर (राज.) पिन 303702 हिस्सा पूर्ण खातेदार			
कुल				2.0712

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर "**विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें**।" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **06-03-2026** को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)
RAJASTHAN PATRIKA & JALTEDEEP

प्राधिकृत अधिकारी जोन-16
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

